क्रम-संख्या–206

रजिस्ट्रेशन नम्बर–एस0एस0पी0/एल0डब्लू/एन0पी0–91/2014–16

लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–4, खण्ड (ख)

(परिनियत आदेश)

लखनऊ, बुधवार, 24 दिसम्बर, 2025

पौष 3, 1947 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

सहकारिता अनुभाग–1

संख्या 589/49-1–2025

लखनऊ, 24 दिसम्बर, 2025

अधिसूचना

आदेश

प०आ०–228

चूँकि राज्य सरकार का यह समाधान हो गया है कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक और समीचीन है;

अतएव, अब, उत्तर प्रदेश अत्यावश्यक सेवाओं का अनुरक्षण अधिनियम, 1966 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 30, सन् 1966) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके, राज्यपाल इस अधिसूचना के सरकारी गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से उत्तर प्रदेश राज्य में उत्तर प्रदेश राज्य भण्डारण निगम, समस्त शीर्ष सहकारी समितियों, समस्त सहकारी परिसंघों एवं समस्त सहकारी संघों के अधीन समस्त सेवाओं में छः माह की अवधि के लिये हड़ताल प्रतिषिद्ध करते हैं ।

पूर्वोक्त धारा की उपधारा (2) के अधीन, राज्यपाल अग्रतर निदेश देते हैं कि यह आदेश सरकारी गजट में प्रकाशित किया जायेगा।

आज्ञा से,
सौरभ बाबू,
प्रमुख सचिव।

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 589/XLIX-1-2025, dated December 24, 2025 :

No. 589/XLIX-1-2025

Dated Lucknow, *December* 24, 2025

WHEREAS the State Government is satisfied that in the public interest it is necessary and expedient so to do;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers under sub-section (1) of Section 3 of the Uttar Pradesh Essential Services Maintenance Act, 1966 (U.P Act no. 30 of 1966), the Governor is pleased to prohibit with effect from the date of publication of this notification in the Official *Gazette*, strikes for a period of six months in all services under the Uttar Pradesh State Warehousing Corporation, all Apex Co-operative Societies, all Co-operative Fedrations and all Co-operative Unions in the State of Uttar Pradesh.

Under sub-section (2) of the said Section, the Governor is further pleased to direct that this order shall be published in the Official *Gazette*.

By order,
SORABH BABU,
Pramukh Sachiv.

पी०एस०यू०पी०–ए०पी० 296 राजपत्र–2025–(921)–599+50=649 प्रतियाँ (डी0टी0पी0 / ऑफसेट)।

296 RPH (Sahkarita-1) 2025 Data 1e